

FORM NO.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम


चित्तौड़गढ़ (राज.)

देऊबाई

बनाम

पुत्री श्री प्रभुलाल खाकड

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर... 81/2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
07/03/24	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 सल्लेरे के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>देऊबाई</u></p> <p><del>पुत्री</del> श्री <u>प्रभुलाल खाकड</u></p> <p>निवासी- <u>नेगडिया खुर्द</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम .....</p> <p><u>नेगडिया खुर्द (प.ए. स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर... 1125/562</u> <u>घोषुणी) (तह. वल्ली) 0-2400</u></p> <p>कुल कीता <u>01</u> कुल रकबा <u>0-2400</u> है 0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>नेगडिया खुर्द (प.ए. घोषुणी तह. वल्ली)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>1125/562</u> <u>0-2400</u></p> <p>कुल कीता <u>01</u> रकबा <u>0-2400</u> है 0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>500-00</u> रूपये अक्षरे <u>पात्र से रकम</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> (बीनू देवल) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>